रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-35/2023/3722/22-2-2022-17(815)/2021

लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बृहमाधार (बन्दी संख्या-27716) पुत्र श्री माधौराम कटियार, निवासी-बेहटा, थाना-ठठिया, जनपद-फर्रूखाबाद वर्तमान जनपद-कन्नौज, जिन्हें सत्र परीक्षण सं0-542/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 22.04.1988 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.09.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, दिनांक 26.11.2022 तक 05 वर्ष 02 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 10 माह 16 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।

संख्या-35/2023/3722(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
3- पुलिस अधीक्षक कन्नौज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in